Vol. 6, Issue: 1, January: 2018
ISSN:(P) 2347-5404 ISSN:(O)2320 771X

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी

डॉ. तिर्मल सिंह
एसो. प्रोफेसर,
बी.एड विभाग
जे.एन.पी.जी. कॉलेज, लखनऊ

1. भूमिका

ऐसा कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। इस वक्तव्य में निहित अर्थ से पृथक होकर यदि महिलाओं की स्थिति में आपत्तिजनक विघटन को देखा जाए तो कम से कम अब तक राजनीति से संबद्ध सफल पुरुषों के संबंध में यह कहना अधिक उचित होगा कि राजनीति में प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे वह महिला ही है जिसे स्वयं उन अवसरों से वंचित होना पड़ा है। महिलाएँ विश्व की आधे से भी अधिक आबादी का प्रतिनिधित्त्व करती हैं एवं वैश्विक निर्वाचन क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व आधे से भी कम है तथापि, विश्व के वैधानिक निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्त्व हाशिए पर है। इस असंतुलन में सुधार के प्रति भारत अभी सीमित सफलता ही प्राप्त कर सका है। भारतीय राजनीति में आजादी के इतने वर्षों बाद भी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम बनी हुई है वास्तव में भारत की आधी आबादी का एक बहुत बड़ा भाग अभी भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के पीछे भाग रहा है विकास की धारा इन्हें प्रभावित नहीं कर पायी है। आवश्यकता इस बात की है कि इन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाय। तमाम लक्ष्मण रेखाओं को लांघकर आज की महिला ने अपना अस्तित्व कायम किया है। भारत की राजनीति में वर्षों से पुरुष ही राज करते आए हैं हालांकि भारत उन देशों में से एक है जिसने दशकों पहले ही अपनी बागडोर इंदिरा गांधी के हाथों सौंप दी थी लेकिन आज भी हर स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा है।

2. स्वतंत्रता पूर्व स्थिति

विद्वानों ने 19वीं सदी में यह महसूस किया था कि हिंदू महिलाएं "स्वाभाविक रूप से मासूम" और अन्य महिलाओं से "अधिक सच्चरित्र" होती हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, आदि जैसे कई सुधारकों ने महिलाओं के उत्थान के लिये लड़ाइयाँ लड़ीं. हालांकि इस से यह पता चलता है कि राज युग में अंग्रेजों का कोई भी सकारात्मक योगदान नहीं था, यह पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि मिशनरियों की पत्नियाँ जैसे कि मार्था मौल्ट नी मीड और उनकी बेटी एलिजा काल्डवेल नी मौल्ट को दक्षिण भारत में लडकियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये आज भी याद किया जाता है। यह एक ऐसा प्रयास था जिसकी शुरुआत में स्थानीय स्तर पर रुकावटों का सामना करना पड़ा क्योंकि इसे परंपरा के रूप में अपनाया गया था। 1829 में गवर्नर–जनरल विलियम केवेंडिश–बेंटिक के तहत राजा राम मोहन राय के प्रयास सती प्रथा के उन्मूलन का कारण बने. विधवाओं की स्थिति को सुधारने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संघर्ष का परिणाम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 के रूप में सामने आया। कई महिला सुधारकों जैसे कि पंडिता रमाबाई ने भी महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य को हासिल करने में मदद की, कर्नाटक में कित्तूर रियासत की रानी, कित्तूर चेन्नम्मा ने समाप्ति के सिद्धांत (डाक्ट्रिन ऑफ लैप्स) की प्रतिक्रिया में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। तटीय कर्नाटक की महारानी अब्बक्का रानी ने 16वीं सदी में हमलावर यूरोपीय सेनाओं, उल्लेखनीय रूप से पुर्तगाली सेना के खिलाफ सुरक्षा का नेतृत्व किया। झाँसी की महारानी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह का झंडा बुलंद किया। आज उन्हें सर्वत्र एक राष्ट्रीय नायिका के रूप में माना जाता है। अवध की सह–शासिका बेगम हजरत महल एक अन्य शासिका थी जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने अंग्रेजों के साथ सौदेबाजी से इनकार कर दिया और बाद में नेपाल चली गयीं. भोपाल की बेगमें भी इस अवधि की कुछ उल्लेखनीय महिला शासिकाओं में शामिल थीं। उन्होंने परदा प्रथा को

नहीं अपनाया और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण भी लिया। चंद्रमुखी बसु, कादंबिनी गांगुली और आनंदी गोपाल जोशी कुछ शुरुआती भारतीय महिलाओं में शामिल थीं जिन्होंने शैक्षणिक डिग्रियाँ हासिल कीं।

1917 में महिलाओं के पहले प्रतिनिधिमंडल ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की माँग के लिये विदेश सचिव से मुलाकात की जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन हासिल था। 1927 में अखिल भारतीय महिला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन पुणे में किया गया था। 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से बाल विवाह निषेध अधिनियम को पारित किया गया जिसके अनुसार एक लड़की के लिये शादी की न्यूनतम उम्र चौदह वर्ष निर्धारित की गयी थी। हालांकि महात्मा गाँधी ने स्वयं तेरह वर्ष की उम्र में शादी की, बाद में उन्होंने लोगों से बाल विवाहों का बहिष्कार करने का आह्वान किया और युवाओं से बाल विधवाओं के साथ शादी करने की अपील की। भारत की आजादी के संघर्ष में महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी. भिकाजी कामा, डॉ० एनी बेसेंट, प्रीतिलता वाडेकर, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, अरुना आसफ अली, सुचेता कृपलानी और कस्तूरबा गाँधी कुछ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हैं। अन्य उल्लेखनीय नाम हैं मुथुलक्ष्मी रेड्डी, दुर्गाबाई देशमुख आदि. सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी की झाँसी की रानी रेजीमेंट कैप्टेन लक्ष्मी सहगल सहित पूरी तरह से महिलाओं की सेना थी। एक कवियित्री और स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला और भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं। भारत में महिलाएं अब सभी तरह की गतिविधियों जैसे कि शिक्षा, राजनीति, मीडिया, कला और संस्कृति, सेवा क्षेत्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि में हिस्सा ले रही हैं इंदिरा गांधी जिन्होंने कुल मिलाकर पंद्रह वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की, दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवारत महिला प्रधानमंत्री हैं।

3. स्वतंत्रता पश्चात स्थिति

भारतीय राजनीति में महिला भागीदारी बहसों और सेमिनारों में ही रहती है। जयललिता, सोनिया, ममता, मायावती जैसी नेता भारतीय राजनीति के शिखर पर हैं वहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर, अन्ना हजारे आंदोलन की नेता के रूप में उभरे हैं। देश के प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा व कांग्रेस ने पार्टी के संगठन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पास कर रखा है लेकिन इस नियम का ईमानदारी से पालन नहीं हो पाताद्य 29 राज्यों वाले देश में कांग्रेस पार्टी से सिर्फ एक दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुई है, जबकि भाजपा से मध्यप्रदेश से उमा भारती मुख्यमंत्री हुई है, राजस्थान से वसुन्धरा राजे मुख्यमंत्री है, उत्तरप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडू की मुख्यमंत्री जयललिता ने अपने दम पर सरकार चलाई है। भारत में पहली बार अक्टूबर 1963 में सुचेता कृपलानी को देश के सबसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, इसी तरह 13 जून 1995 को मायावती ने भाजपा के समर्थन से पहली बार उत्तरप्रदेश में सरकार बनाई और देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। इसी तरह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने वामपंथियों की 34 साल पुरानी सरकार को हटाकर अपना झण्ड़ा फहरा दिया, हालांकि महिलाएं राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर ठीक– ठाक संख्या में राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करती हैं लेकिन इन राजनीतिक दलों में भी उच्च पदों पर महिलाओं की उपस्थिति कम ही है। उल्लेखनीय है कि भारत में सबसे ज्यादा उन्नती कर रहे राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिल नाडू में बहुत कम महिला राजनीतिज्ञ सामने आई हैं जबकि उत्तर प्रदेश या बिहार में उनकी संख्या कहीं ज्यादा हैं।

भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी कुछ महिलाओं ने राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में सफलता हासिल की, आधुनिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई है। इंदिरा गांधी जिन्होंने कुल मिलाकर पंद्रह वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की, दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवारत महिला प्रधानमंत्री हैं। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला और भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थींद्य भारत में महिला साक्षरता दर धीरे– धीरे बढ़ रही है लेकिन यह पुरुष साक्षरता दर से कम है। हालांकि ग्रामीण

भारत में लड़कियों को आज भी लड़कों की तुलना में कम शिक्षित किया जाता है। भारत में अपर्याप्त स्कूली सुविधाएं भी महिलाओं की शिक्षा में रुकावट है। हालांकि भारत में महिलाएं अब सभी तरह की गतिविधियों जैसे कि शिक्षा, राजनीति, मीडिया, कला और संस्कृति, सेवा क्षेत्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि में हिस्सा ले रही हैं। विभिन्न स्तर की राजनीतिक गतिविधियों में भी महिलाओं का प्रतिशत काफी बढ़ गया है, हालांकि महिलाओं को अभी भी निर्णयात्मक पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया हैं। राजनीतिक दलों के भेदभावपूर्ण रवैये के बावजूद मतदाता के रूप में महिलाओ की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है, महिलाओं के मुद्दों के प्रति राजनीतिक दलों की गंभीरता महिला आरक्षण बिल को पास करने में असफलता से ही साफ हो जाती है, पार्टियों को महिला मतदाताओं की याद सिर्फ चुनाव के दौरान ही आती है और उनके घोषणापत्रों में किए गए वादे शायद ही कभी पूरे होते हैं। किसी राजनीतिक दल की चुनावी सफलता में युवाओं के बजाए महिला मतदाता अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों को टिकट बांटते समय महिला उम्मीदवारों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। महिला उम्मीदवारों को टिकट नहीं देने के बारे में राजनीतिक दल कहते हैं कि महिलाओं में जीतने की काबिलियत कम होती है। परंतु राज्यसभा में तो विधान सभा सदस्य वोट डालते हैं फिर राजनीतिक दल महिलाओं को राज्यसभा चुनाव में क्यों नहीं खड़ा करते हैं।

आज महिलाओं में आत्मगौरव, आत्मविश्वास व साहस का संचार हुआ है और देश के विकास में योगदान दे रही हैं। वर्तमान समय में भारत में महिलाओं के राजनीतिक विकास में अनेकानेक बाधायें हैं, महिलाओं में संकोच, महिलाओं की आर्थिक पराधीनता, महिलाओं में असुरक्षा का भय, राजनीतिक दलों में सत्ता प्राप्ति की प्रवृत्ति, खर्चीली चुनाव प्रणाली राजनीतिक विकास में बाधायें हैं। महिलाओं की बाधाओं को दूर कर उन्हें राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाना चाहिएद्य लगभग सभी राज्यों में न सिर्फ महिलाओं के मतदान का प्रतिशत बढ़ा है बल्कि महत्वपूर्ण बात ये है कि कई राज्यों में मतदान के लिहाज से महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। चुनावी राजनीति में महिलाएं अधिक सक्रिय दिखाई दे रही है। अब समय आ गया है कि राजनीतिक दल बदलाव की पहल करें, वर्तमान में भी महिलाएं केन्द्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, महापौर और सांसदों के पद पर आसीन हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों में भी महिलाएं विभिन्न पदों पर आसीन हैं। सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी अफस्पा को हटाने की मांग को लेकर 16 साल से अनशन कर रहीं मणिपुर की आयरन लेडी इरोम चानू शर्मिला ने घोषणा की कि वह अपना अनशन समाप्त कर देंगी और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। अब उन्हें नहीं लगता कि उनके अनशन से अफस्पा हट पायेगा। लेकिन वह लड़ाई जारी रखेंगी, मणिपुर में विधानसभा चुनाव 2017 में होना ळें

शिक्षा, विज्ञान, खेल– कूद, व्यवसाय, सूचना– प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और रजत पट आदि सभी क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों से अधिक योग्य सिद्ध हो रही हैं। मीडिया, पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र में भी महिलाओं का वर्चस्व कायम है। किसी भी देश की वांछित प्रगति के लिए उस देश की महिलाओं की भागीदारी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। भारत की आधी शक्ति एवं क्षमता होने के बावजूद राजनीतिक सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी कम रही है। भारतीय राजनीति में महिलाएं आम चुनावों में बहुत कम संख्या में भाग लेती हैं तथा जो भाग लेती हैं वे प्रायः राजनीति की ऊँची कुर्सी प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं, भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और देश के महत्वपूर्ण पदों पर उनकी उपस्थिति नहीं के बराबर है। आज का प्रदूषित राजनीतिक वातावरण महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र के लिए किसी प्रकार का आकर्षण नहीं देता इसके उपरान्त भी भारतीय महिलायें अपनी राजनीतिक चेतना की अभिव्यक्ति करना चाहती हैं। भारत के राजनीतिक क्षेत्र में कुछ महिलाओं ने स्वयं के बलबूते पर महत्वपूर्ण स्थिति बनायी है।

4. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास

अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संगठन का सम्मेलन गत मार्च माह में अफ्रीका महाद्वीप के जाम्बिया देश में आयोजित हुआ था। इस वर्ष 2016 के सम्मेलन का विषय था–**'राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी।'**

यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में सशक्त बनाने के लिए कई दशकों से विशेष प्रयास कर रहा है। इससे पूर्व भी कई बार इस संगठन ने महिला विषयों पर कई सम्मेलन आयोजित किए हैं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस संगठन ने एक अंतर्राष्ट्रीय संयोजन समिति भी गठित की है जिसमें सदस्य देशों से एक–एक महिला सांसद को शामिल किया गया है जो अपने देश में इस संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए संगठन के विचारों और प्रस्तावों को अपने देश के राजनीतिक दलों और सरकारों तक पहुंचाने का कार्य कर सके। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की यह महिला समिति लगातार स्वतन्त्र रूप से कार्य करती रहती है। इसी संगठन के प्रयासों का परिणाम है कि आज सारे विश्व में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है।

5. भारतीय संविधान में संशोधन एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य

भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी के संबंध में भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से देशभर में पंचायत स्तर पर निर्वाचन प्रक्रिया में 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई, इसका परिणाम यह निकला कि पहले पंचायत स्तर पर लगभग 4 प्रतिशत महिलाएं भाग लेती थीं जो अब 50 प्रतिशत के लगभग पहुंच चुकी हैं। आज भारत के 5 राज्यों जम्मू–कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात तथा राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री भारत की इस प्रतिबद्धता को व्यक्त कर रही हैं कि भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में किसी प्रकार की भी कोई बाधा नहीं है। पूर्वकाल में सुचेता कृपलानी तथा मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 1972 से 1976 के मध्य नन्दिनी सतपति उड़ीसा की मुख्यमंत्री थीं। 1970 के ही दशक में शशिकला काकोदकर गोवा की मुख्यमंत्री थीं। 1980 के दशक में एक मुस्लिम महिला सईदा अनवर तैमूर असम की मुख्यमंत्री रहीं तो तमिलनाडु में जानकी रामचन्द्रन ने मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। 1990 के दशक में पंजाब में राजेन्द्र कौर भठ्ठल मुख्यमंत्री रहीं। बिहार में राबड़ी देवी, दिल्ली में सुषमा स्वराज तथा शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहीं। 2003 में उमा भारती ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाला।

कोई भी महिला एक सामान्य पुरुष की तरह राजनीति में भाग ले सकती है और सारे देश का नेतृत्व कर सकती है। भारत में राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर के 5 मुख्य राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका पूरा नेतृत्व और नियंत्रण महिलाओं के हाथ में है, जैसे – कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती, तमिलनाडु ए.आई.ए.डी.एम.के. की मुखिया जयललिता, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी तथा जम्मू–कश्मीर पी.डी.पी. की मुखिया महबूबा मुफ्ती। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल से ही यह सिद्ध हो चुका था कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता संविधान के अक्षरों के रूप में ही नहीं अपितु वास्तविक रूप में क्रियान्वित है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत के राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित कर चुकी हैं। भारतीय संसद में वर्तमान लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन के अतिरिक्त मीरा कुमार भी इस पद को सुशोभित कर चुकी हैं। भारतीय राज्यों में 1947 से आज तक लगभग 23 महिलाएं राज्यपाल पद को भी सुशोभित कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की तो प्रथम महिला राज्यपाल भारत कोकिला और सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू बनी थीं। उसके बाद पश्चिम बंगाल में पद्मजा नायडू, महाराष्ट्र में विजय लक्ष्मी पंडित, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात मंम शारदा मुखर्जी, आंध्र प्रदेश में श्रीमती कुमुदबेन जोशी, केरल में ज्योति वैंकटचलम, रामदुलारी सिन्हा तथा शीला दीक्षित, मध्य प्रदेश में सरला ग्रेवाल, पुडुचेरी में चन्द्रवती तथा राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी, तमिलनाडु में फातिमा बीबी, हिमाचल प्रदेश में शीला कौल, वी. एस. रमादेवी, प्रभा राव तथा उर्मिला सिंह, कर्नाटक में वी. एस. रमादेवी, राजस्थान में प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव तथा मारग्रेट अलवा, उत्तराखंड में मारग्रेट अल्वा, गुजरात में कमला बेनीवाल, मिजोरम में कमला बेनीवाल, गोवा में मृदुला सिन्हा तथा झारखंड में द्रौपदी आदि ने राज्यपाल पद को सुशोभित किया है।

हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने 'बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ अभियान' के द्वारा भी महिलाओं के लिए जीवन जीने की मूल स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के प्रति अपना संकल्प व्यक्त किया है। इस अभियान के पीछे प्रधानमंत्री जी की सोच यही है कि बेटियों का जीवन सुरक्षित करके उन्हें पढ़ा–लिखाकर हर प्रकार से सम्पन्न और प्रगतिशील बनाया जाना चाहिए। आज हमारे देश के उच्च न्यायालयों में अनेक महिलाएं

न्यायाधीश पदों को सुशोभित कर रही हैं। जिला अदालत स्तर तक भी अनेक महिलाएं न्यायाधीश के रूप में न्याय प्रक्रिया के मूल को सुदृढ़ कर रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर भी महिलाएं पहुंच चुकी हैं। एयरफोर्स जैसे जोखिम भरे संगठनों में भी महिलाओं की भागीदारी अब पूरी बराबरी के साथ सुनिश्चित हो चुकी है। भारत के व्यापार और उद्योगों में भी महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। मीडिया में आज महिलाएं पुरुषों के बराबर ही सक्षम हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञान प्रौद्योगिकी सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाएं लगातार अग्रसर हो रही हैं। प्रतिवर्ष मैट्रिक और इण्टर की बोर्ड परीक्षाओं में और यहां तक कि आई.ए.एस. तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी महिलाएं कई बार तो पुरुषों से भी अधिक आगे दिखाई देती हैं।

भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया ही नहीं अपितु समग्र समाज में महिलाओं की इस बढ़ती भागीदारी को देखकर हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के किसी मार्ग पर भी महिलाओं की स्वतंत्रता बाधित नहीं है। महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में हाल ही में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के संबंध में न्याय प्रक्रिया ने कड़ा रुख अपनाते हुए महिलाओं को बराबरी का मूल अधिकार प्रदान किया है। विधानसभाओं तथा संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून तैयार किया गया है उसे राज्यसभा तो पारित कर चुकी है और आशा है कि लोकसभा भी देर–सवेर इस बिल को पारित करके एक चिर–प्रतीक्षित योजना के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को निम्न अधिकार देता है।

- सामान अधिकार (अनुच्छेद 14),
- राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं करने (अनुच्छेद 15 (1)),
- अवसर की समानता (अनुच्छेद 16),
- समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39 (घ)) की गारंटी देता है।
- महिलाओं और बच्चों के पक्ष में राज्य द्वारा विशेष प्रावधान बनाए (अनुच्छेद 15(3)),
- महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग करने (अनुच्छेद 51(ए)(ई))
- काम की उचित एवं मानवीय परिस्थितियाँ सुरक्षित करने और प्रसूति सहायता के लिए राज्य द्वारा प्रावधान (अनुच्छेद 42)

भारत में नारीवादी सक्रियता ने 1970 के दशक के उत्तरार्द्ध के दौरान रफ्तार पकड़ी. महिलाओं के संगठनों को एक साथ लाने वाले पहले राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों में से एक मथुरा बलात्कार का मामला था। एक थाने (पुलिस स्टेशन) मं मथुरा नामक युवती के साथ बलात्कार के आरोपी पुलिसकर्मियों के बरी होने की घटना 1979–1980 में एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का कारण बनी. विरोध प्रदर्शनों को राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक रूप से कवर किया गया और सरकार को साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता को संशोधित करने और हिरासत में बलात्कार की श्रेणी को शामिल करने के लिए मजबूर किया गया। महिला कार्यकर्ताएं कन्या भ्रूण हत्या, लिंग भेद, महिला स्वास्थ्य और महिला साक्षरता जैसे मुद्दों पर एकजुट हुईं. चूंकि शराब की लत को भारत में अक्सर महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जोड़ा जाता है, महिलाओं के कई संगठनों ने आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में शराब–विरोधी अभियानों की शुरुआत की , कई भारतीय मुस्लिम महिलाओं ने शरीयत कानून के तहत महिला अधिकारों के बारे में रूढ़िवादी नेताओं की व्याख्या पर सवाल खड़े किये और तीन तलाक की व्यवस्था की आलोचना की है।

1990 के दशक में विदेशी दाता एजेंसियों से प्राप्त अनुदानों ने नई महिला–उन्मुख गैरसरकारी संगठनों (एनजीओ) के गठन को संभव बनाया. स्वयं–सहायता समूहों एवं सेल्फ इम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन (सेवा) जैसे एनजीओ ने भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई है। कई महिलाएं स्थानीय आंदोलनों की नेताओं के रूप में उभरी हैं। उदाहरण के लिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर. भारत सरकार ने 2001 को महिलाओं के सशक्तीकरण (स्वशक्ति) वर्ष के रूप में घोषित किया था।

महिलाओं के सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति 2001 में पारित की गयी थी। 2006 में बलात्कार की शिकार एक मुस्लिम महिला इमराना की कहानी मीडिया में प्रचारित की गयी थी। इमराना का बलात्कार उसके ससुर ने किया था। कुछ मुस्लिम मौलवियों की उन घोषणाओं का जिसमें इमराना को अपने ससुर से शादी कर लेने की बात कही गयी थी, व्यापक रूप से विरोध किया गया और अंततः इमराना के ससुर को 10 साल की कैद की सजा दी गयी। कई महिला संगठनों और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा इस फैसले का स्वागत किया गया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन बाद, 9 मार्च 2010 को राज्यसभा ने महिला आरक्षण बिल को पारित कर दिया जिसमें संसद और राज्य की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था हैं।

7. उपसंहार

भारतीय समाज में महिलाओं में राजनीतिक विकास जागृत कर उन्हें पुरूषों के समान स्तर पर लाने के लिए भारतीय समाज एवं प्रशासन दोनों को ही समान रूप से सहयोग करना होगा। गरीबी कम करने, साक्षरता का प्रतिशत बढाने, बेरोजगारी कम करने तथा समाज में व्याप्त असमानता कोदूर करने के प्रयासों के केन्द्र में जब तक भारत की असंख्य नारी समूह को नहीं रखा जायेगा तथा जब तक स्वयं महिलायें अपनी स्थिति में बदलाव के लिए चौतन्य नहीं होंगी, तब तक राजनीति और सत्ता दोनों ही महिला विकास और महिलाओं से दूर रहेंगे। यद्यपि कुछ हद तक महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता आई है और वे राजनीतिक वर्चस्व की खोज में चूल्हें–चौके से चौपाल की ओर रूख कर चुकीं हैं। राजनीति में जमीन तलाशती आज महिलायें दहलीज के पार हैं, कल तक उसके जो सपने पलकों में ही चिपके रहते थे, आज उन सपनों ने आकार प्राप्त करना शुरू कर दिया है। अतः यह स्पष्ट है कि महिलायें उस मुकाम पर पहुँचेंगी तो जरूर जहाँ उन्हें पहुँचना है। यदि वह सामाजिक आर्थिक आधार प्राप्त कर लें तो यह प्रक्रिया काफी तेज हो सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करने में पुरूष प्रधान समाज एवं राजनेताओं को सहयोग देना होगा। दोनों को समय के बदलते परिवेश के अनुरूप अपने आपको ढालना होगा। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के महत्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सिफारिश की थी कि विश्व की संसदों की कुल संख्या का न्यूनतम 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित होना चाहिए। जिसका अनुसरण पंचायतीराज व्यवस्था के द्वारा भारत में किया जा चुका है। सम्भवतः संसद और विधान मण्डलों में भी यह आरक्षण निकट भविष्य में स्वीकृत हो जायेगा। अतः महिलाओं की राजनीति में वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं में जागरूकता लाना और उन्हें नेतृत्व के लिए शिक्षित करना आवश्यक है।

सन्दर्भ सूची

1. भारत की जनगणना, 2011
2. दैनिक नवज्योति, नवजात बेटी को तम्बाकू खिलाकर मारा, 11 अप्रैल 2012, पृष्ठ 1
3. दैनिक भास्कर, सात दिन से मां व दूध को बिलखती मासूम, जयपुर संस्करण 2 अप्रैल, 2012,
4. जैन, एस. जैकेयूट (स), वूमेन इन पॉलिटिक्स, ए.ओ. विले, इन्टर साइन्स पब्लिकेशन, न्यूयार्क, जोन विले एण्ड सन्स, 1974, पृष्ठ 5–6
5. मिश्र, एस.एन., जुलाई–दिसम्बर 2011, पृष्ठ 157
6. अल्टेकर, ए.एस. (1956). द पोजीशन ऑफ वोमेन इन हिन्दु सिविलाइजेशन, मोतीलाल बनारसी लाल, वाराणसी
7. राजकुमार, डा. (2005).नारी के बदले आयाम ,अर्जुन पब्लिशिंग हाउस
8. हसनैन, नदीम (2004). समकालीन भारतीय समाज, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ। गुप्ता कमलेश कुमार, महिला सशक्तिकरण,बुक एनक्लेव, जयपुर
9. सिंह करण बहादुर ,महिला अधिकार व सशक्तिकरण ,कुरूक्षेत्र , मार्च 2006
10. श्रीनिवास, एम.एन. (1978). द चेन्जिग पोजीशन ऑफ इण्डिया वूम
11. गौतम हरेन्द्र राज, (2006). महिला अधिकार संरक्षण , कुरूक्षेत्र मार्च
12. व्यास, जय प्रकाश, (2003). नारी शोषण, ज्ञानदा प्रकाशन.